

आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जीऊ राम, पंच, ग्राम पंचायत खरबला, वार्ड नं०. 03, खण्ड हांसी-2, जिला हिसार द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 02.01.2025 / शपथ पत्र दिनांक 10.03.2025 जो उपायुक्त, हिसार के सिफारिश पत्र क्रमांक / चुनाव सहायक / पंचायत / 2025 / 4039 दिनांक 03.07.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
15-07-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025 / 32316-22 दिनांक : 16/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, हिसार को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक / चुनाव सहायक / पंचायत / 2025 / 4039 दिनांक 03.07.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हांसी-2 (जिला हिसार)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत खरबला, खण्ड हांसी-2, जिला हिसार।
6. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जीऊ राम निवासी गांव खरबला, खण्ड हांसी-2, तहसील बांस, जिला हिसार।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Sh. Gaurind / Sh. Mohit


अधीक्षक (चु०) 16/07/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।